कार्यालय नगर पंचायत सेवरही,कुशीनगर।

संख्याः– 270 (i) /न0पं0से0/2020 दिनांक 18 मार्च,2020

अतिअल्पकालिन निविदा सूचना

एतद द्वारा सर्व सम्बन्धितगणों को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत सेवरही में समस्त फर्मों/ठीकेदारों से नगर पंचायत सेवरही,कुशीनगर में वित्तीय वर्ष 2019–20 अन्तर्गत राज्य वित्त आयोग की प्राप्त धनराशि से निम्नांकित निर्माण कार्य कराये जाने हेतु मुहरबन्द/सीलबन्द लिफाफे में मु0 05.00 लाख से अधिक धनराशि की निविदायें दिनांक 28 मार्च ,2020 तक आमन्त्रित किया जाता है। जो जिलाधिकारी कार्यालय कुशीनगर के एल0वी0सी0 पटल पर रखे निविदा बाक्स में डाली जायेगी। जो उसी दिन अपरान्ह 04.00 बजे कार्यालय जिलाधिकारी, कुशीनगर में उपस्थित ठेकदार या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष,सक्षम प्राधिकारी द्वारा खोला जायेगा। उसी प्रकार से मु0 05.00लाख से कम धनराशि की निविदायें दिनांक 27मार्च, 2020 को दिन में अपरान्ह 02.00 बजे तक कार्यालय नगर पंचायत सेवरही,कुशीनगर में रखे निविदा बाक्स में डाली जायेगी। जो उसी दिन अपरान्ह 04.00 बजे कार्यालय में उपस्थित ठेकदार या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष,सक्षम प्राधिकारी द्वारा खोला जायेगा। अर्हता प्राप्त ब्यक्ति/ठीकेदार/फर्म निर्धारित मूल्य देकर दिनांक 25 मार्च, 2020 को 10.00 बजे से 03.00 बजे तक नगर पंचायत कार्यालय/ एल0बी0सी0 पटल कलेक्ट्रेट,कुशीनगर से निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है।

क्रम सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	जमानत राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
01	वार्ड नम्बर–10 में हीरालाल के घर से जगरनाथ जी के घर तक आर0सी0सी0 नाली एवं अर्थेन रोड का निर्माण कार्य।	117289.00	2346	117+21= 138	30-06-2020
02	वार्ड नम्बर–05 तुलसी नगर में बालदेव वर्मा से उमाशंकर तक नाली का निर्माण कार्य।	60571.00	1211	61+11= 72	30-06-2020
03	शिवाघाट पर कालम, बिम, इण्टरलाकिंग सडक,स्टील रेलिंग, स्टील गेट,डम्ब तथा छत का कार्य का निर्माण कार्य।	634489.00	12690	634+114= 748	30-06-2020
04	समस्त वार्डो में आर0सी0सी0 स्लैब का निर्माण कार्य।	460108.00	9202	460+83= 543	30-06-2020
05	समस्त वार्डो में नाली मरम्मत का निर्माण कार्य।	480397.00	9608	480+86= 566	30-06-2020
06	वार्ड नम्बर–12 मालवीय नगर से दमकला घाट जाने वाले मार्ग पर गडढे की भराई हेतु मिट्टी की आपूर्ति का कार्य।	96427.00	1929	96+17= 113	30-06-2020
07	नगर पंचायत सेवरही के विभिन्न स्थानों पर गडढे की भराई हेतु राविश की आपूर्ति का कार्य।	94920.00	1898	95+17= 112	30-06-2020

शर्तें एवं नियम

1- निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित जमानत 02 प्रतिशत की धनराशि एफ0डी0आर0/के0बी0 पी0/टी0डी0आर0 /राष्टीय बचत पत्र (एन0एस0सी0)जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सेवरही के पक्ष में अनुबन्धित हो अथवा एम0ए0सी0–5 पर जमा नगद धनराशि की रसीद को संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2- निविदा स्वीकृति के पश्चात सम्बन्धित ठीकेदार/ फर्म को शेष 8 प्रतिशत जमानत की धनराशि एफ0डी0आर0/के0बी0पी0/टी0डी0आर0/राष्टीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सेवरही के पक्ष में अनुबन्धित हो अथवा एम0ए0सी0–5 पर जमा नगद धनराशि की रसीद द्वारा जमा करना होगा। अथवा उक्त की कटौती ठीकेदार के बिल से कटौती की जायेगी।

3- निर्माण कार्य की गुणवत्ता आगणन दिये गये मानक के अुनसार तथा कार्य ठीक एंव सन्तोषजनक होने के अनुरूप पर और यथा समय धनराशि की उपलब्धता होने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। जो ठीकेदार को मान्य होगा।

4- कार्य स्थल पर निर्माण कार्य करने की समयावधि, कार्य को बढ़ाया या घटाये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन ठीकेदार द्वारा करना अनिवार्य होगा।

5- नगर पंचायत द्वारा दिये गये आदेशों का पालन निविदादाता द्वारा नहीं किये जाने की स्थिति में निविदा के साथ जमा जमानत की धनराशि जब्त कर लिया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित ठीकेदार की होगी।

6- निविदा प्रपत्र पर निविदादाता का स्पष्ट हस्ताक्षर पूरा पता एवं मोबाइल नम्बर अंकित होना चाहिए।

7- निविदादाता द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत अद्यतन हैसियत एवं चरित्र प्रमाण–पत्र की स्व0 प्रमाणित प्रति को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8- निविदा प्राप्ति अथवा खोले जाने की तिथि को कोई अवकाश होता है तो निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। तथा निविदाओं की बैद्यता मूल तिथि से मानी जायेगी।

9- निविदादाता से न्यूनतम निविदा प्राप्त होने के उपरान्त इस निकाय में निर्धारित शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट/ई–बैकिंग के माध्यम से जमा कराते हुये निविदादाता का पंजीकरण निविदा शर्तों के अनुसार जमानत आदि धनराशि जमा करते हुये नियमानुसार अनुबन्ध गठित किया जायेगा।

क्रम संख्या–2--पर

कार्यालय नगर पंचायत सेवरही,कुशीनगर।

संख्याः– 270(i) /न0पं0से0/2020 दिनांक 18 मार्च,2020

(2)

10- निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की कटिंग/अपूर्ण/भ्रामक होने पर निविदा पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

11- निविदा स्वीकृति के उपरान्त कार्यादेश प्राप्ति से सम्बन्धित ठीकेदार/फर्म को एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्धोपरान्त ही निर्माण कार्य को प्रारम्भ कर समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा बिलम्ब की दशा में जमा जमानत की धनराशि को जब्त करते हुए निकाय के पक्ष में करते हुए ठीका निरस्त कर दी जायेगी। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठीकेदार/फर्म की ब्यक्तिगत रूप से होगी।

12- किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा।

13- निविदा स्वीकृति के उपरान्त किसी भी आपत्ती पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

14- निविदा हेतु ठीकेदार/फर्म द्वारा किसी भी प्रकार ब्यवधान, अभद्रता व इत्यादि की जाती है तो ब्लैक लिस्टेड (काली सूची) में करते हुए प्रथम सूचना रिर्पोट सम्बन्धित थाने में दर्ज करायी जायेगी।

15- निर्माण कार्यो के बिलों का भुगतान शासकीय अनुदान की शर्तो एवं वित्तीय नियम संग्रह के अनुसार किया जायेगा।

16- निविदा स्वीकृति के उपरान्त ठेकदार द्वारा इस आशय का शपथ प्रमाण पत्र देना होगा कि भविष्य में यदि स्टैम्प शुल्क लगता है तो उसे ठेकेदार द्वारा अपने खर्चे से जमा करना होगा। उसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगा।

17- निविदादाता द्वारा अपने व्यय से प्रत्येक कार्य स्थल पर कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व, कार्य कराते हुए तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त स्थल का जिओ टैग फोटोग्राफ इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

18- शासनादेश संख्या–24वी0आइ0पी0(1)/नौ–5–2017–120 बजट/2013 दिनांक 24.09.2017 उपरोक्त मांगी गयी निविदाओ पर लागू होगा। अर्थात् निर्मित किये जाने वाली सड़क को निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि से पॉच बर्ष तक अनुरक्षण/रख–रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठीकेदार की होगी। परियोजना लागत की 05 प्रतिशत धनराशि परफार्मेन्स गारन्टी के रूप में 05 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क की समुचित रख–रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेंगी।

19- निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 आडिट/09 टी0सी0–2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक निम्न दरें प्राप्त होने पर 0.5 प्रतिशत दर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दरों पर 1.00 प्रतिशत कम दर पर परफार्मेन्स गारण्टी की अतिरिक्त धनराशि जमा करने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदादाताओं द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

20- निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ जी0एस0टी0/पैनकार्ड पंजीयन से सम्बन्धित अभिलेखों की स्व0प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

21- निविदादाता द्वारा कराये गये निर्माण कार्य के देय बिलो से देय सभी करों की कटौती की जायेगीं। जो ठीकेदार को मान्य होगा।

22- प्रत्येक कार्य के लिये निविदा प्रपत्र मूल्य की नगद जमा धनराशि एन0एस0सी–5 रसीद/डी0डी0 /अथवा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,शाखा–सेवरही, कुशीनगर खाता संख्या–**2046753694** आई0 एफ0 सी0 कोड –**CBIN0283394** में जमा की मूल कापी एवं उसी प्रकार से प्रत्येक कार्य के लिये पृथक–पृथक जमानत जमा धनराशि की मूल कापी निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(अजय कुमार)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत सेवरही,कुशीनगर।

(श्यामसुन्दर विश्वकर्मा)
अध्यक्ष
नगर पंचायत सेवरही,कुशीनगर।

संख्या :– 270(i)/नं0पं0से0/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय,कुशीनगर।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,कुशीनगर को इस आशय से प्रेषित कि जनपद–कुशीनगर की बेबसाइड पर निविदा विज्ञप्ति को अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. विज्ञापन ब्यवस्थापक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र " स्वतन्त्र भारत/स्वतन्त्र चेतना" गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि कुशीनगर अंक में प्रकाशन कर पॉच प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
4. कार्यालय नगर पंचायत सेवरही के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(अजय कुमार)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत सेवरही,कुशीनगर।

(श्यामसुन्दर विश्वकर्मा)
अध्यक्ष
नगर पंचायत सेवरही,कुशीनगर।